न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 20 सन 2020
अनवान :–

1. रायसिह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर
2. बलवन्तसिह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 3/11/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 322/391(71) किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,19/.2530 ,20/.2530 ,21/.2530 ,22/.2530 कुल 1.5180हैक भूमि सायलान के नाम अपने भाइयो के साथ वहिब दर्ज है।

वाद भूमि में सायलान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण साभसिह व बालुराम दर्ज हो गया जबकि सायलान का सही नाम रायसिह एवं बलवन्तसिह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है सायलान का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से सायलान के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

सायलान का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे, आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड भारत निर्वाचन विभाग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , परिवार राशन कार्ड आदि सभी में सायलान का नाम रायसिह व बलवन्तसिह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है अपने कथनों के समर्थन में संरपंच ग्राम पंचायत जसाना का प्रमाण पत्र पेश किया ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ठाकर के स्थान कालुराम पुत्र कान्हाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जवाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 322/391(71) किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,19/.2530 ,20/.2530 ,21/.2530 ,22/.2530 कुल 1.5180हैक भूमि सायलान के नाम अपने भाइयों के साथ बहिब दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वाद भूमि में सायलान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण साभसिंह व बालुराम दर्ज हो गया जबकि सायलान का सही नाम रायसिह एवं बलवन्तसिह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है सायलान का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से सायलान के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

सायलान का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे, आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड भारत निर्वाचन विभाग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , परिवार राशन कार्ड आदि सभी में सायलान का नाम रायसिह व बलवन्तसिह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया की रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 322/391(71) किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,19/.2530 ,20/.2530 ,21/.2530 ,22/.2530 कुल 1.5180हैक भूमि सायलान के नाम अपने भाइयो के साथ बहिब दर्ज है।

उक्त वाद भूमि में सायलान का नाम साभसिह व बालुराम दर्ज सायल का कथन है कि उसका सही नाम रायसिह व बलवन्तसिह है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

सायल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड भारत निर्वाचन आयोग का फोटो मतदाता पहचान पत्र , परिवार राशन कार्ड सभी में सायलान का नाम रायसिह व बलवन्तसिह दर्ज है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है व सायलान ने अपने नाम के सम्बध में ग्राम पंचायत जसाना का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है प्रस्तुत साक्ष्यों/सबुतो के 'अधार सायलान अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जा सकता है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 322/391(71) किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,19/.2530 ,20/.2530 ,21/.2530 ,22/.2530 कुल 1.5180हैक भूमि मे सायलान का नाम क्रमशं साभसिह , बालुराम अंकित है के स्थान पर रायसिह उर्फ साभसिह , बलवन्तसिह उर्फ बालुराम किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/136 LRA/10 दिनांक :3-11-20

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 20/2020 अनवानी रायसिह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. रायसिह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवारी मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर
2. बलवन्तसिह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवारी मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 20/2020 अनवानी रायसिह बनाम सरकार में दिनांक 03/11/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 322/391(71) किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,19/.2530 ,20/.2530 ,21/.2530 ,22/.2530 कुल 1. 5180हैक्ट भूमि मे सायलान का नाम क्रमशं साभसिह , बालुराम अंकित है के स्थान पर रायसिह उर्फ साभसिह , बलवन्तसिह उर्फ बालुराम किये जाने के आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner